न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,गंगापुर जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी विकास पंचोली, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः– 36/2019 (2019/00028) दर्ज दिनांक 18.03.2019

वाद– अन्तर्गत धारा –88 आर0टी0ए0

शीर्षक

बालु मुतबन्ना उदा उर्फ उदयराम तेली निवासी झुमपरुा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

वादी

बनाम

1. रतनलाल आत्मज लहरू तेली निवासी झुमपरुा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)।

प्रतिवादीगण

उपस्थिति अधिवक्ता वादीः– श्री सुनिल कुमार जैन
प्रतिवादीः– पेरोकार सरकार

:: वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम ::

निर्णय

दिनांक 07.09.2020

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने वाद पत्र अन्तर्गत वाद बाबत् घोषणा का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि–

वादी की गोद माता मु0 भोली बेवा उदा तेली निवासी झुमपुरा के खातेदारी अधिकार की कृषि आराजियात राजस्व ग्राम नांदशा के, झुमपुरा , शिवरती तहसील सहाड़ा के बेरून हल्का आबादी में स्थित थी , जिसका विवरण इस प्रकार हैः–

परिशिष्ट " अ "

यह कि राजस्व ग्राम नांदशा के [illegible] में तत्कालीन खाता संख्या 113 में अवस्थित आराजियात कुल [illegible] 7.38 है0 कृषि भुमि में वादी की गोद माता मु0 भोली [illegible] का हक व हिस्सा दर्ज अभिलेख था। जिसको [illegible] 98 के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 288 [illegible] के नाम दर्ज अभि[illegible] किया गया। प्रमाण में नामान्तरकरण संख्या 288 [illegible] नांदशा के. की हमराह पेश है। वादी द्वारा प्रस्तुत इस वाद पत्र में उक्त तत्कालीन खाता संख्या 113 में अवस्थित आराजियात के संबंध में कोई विवाद नहीं है और न ही वादी उक्त वर्णित

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.12 15:45:16 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी) गंगापुर जिला भीलवाड़ा (राज.)

Scanned with CamScanner

खाता संख्या में वर्णित आराजियात के संबंध में उक्त वाद पत्र के जरिये कोई अनुतोष माननीय न्यायालय से चाहता है।

परिशिष्ट " ब "

यह कि राजस्व ग्राम नांदशा के. के बैरून हल्का आवादी में तत्कालीन खाता संख्या 29 में अवस्थित आराजियात कुल किता 23 रकबा 4.87 हे0 कृषि भुमि व तत्कालीन खाता संख्या 31 में अवस्थित गै0मु0 आराजी चाह में वादी की गोद माता मु0 भोली बेवा उदा तेली निवारी झुमपुरा का हक व हिस्सा दर्ज अभिलेख था। जिसको जिस्टर्ड गोद नामा दिनांकित 22.06.1998 के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 288 से बालु मुतबन्ना उदा तली के नाम दर्ज अभिलेख किया गया। जिसको भी रजिस्टर्ड गोदनामा दिनांक 22.06.1998 के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 64 से वादी बालु मुतबन्ना उदा तेली के नाम दर्ज अभिलेख किया गया। प्रमाण में नामान्तरकरण संख्या 64 राजस्व ग्राम झुमपुरा हमराह वाद पेश है। वादी द्वारा प्रस्तुत इस वाद पत्र में उक्त तत्कालीन खाता संख्या 29 व 31 में अंकित आराजियात के संबंध में उक्त वाद पत्र के जरिये कोई अनुतोष ही माननीय न्यायालय से चाहता है।

परिशिष्ट " स "

यह कि राजस्व ग्राम शिवरती के बैरून हल्का आवादी में तत्कालीन खाता संख्या 77 में अवस्थित आराजियात कुल किता 6 रकबा 0.93 हे0 कृषि भुमि में वादी की गोद माता मु0 भोली बेवा उदयराम तेली का 1/5 हक व हिस्सा दर्ज अभिलेख था। जिसको जिस्टर्ड गोद नामा दिनांकित 22.06.1998 के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 234 से बालु मुतबन्ना उदा तली के स्थान पर बालु गोदपुत्र भोली तेली के नाम अंकन कर दिया लेकिन वादी ने उक्त खाता संख्या में अंकित आराजियात में निहित अपने सम्पूर्ण 1/5 हक व हिस्से को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के माध्यम से विक्रय कर दिया। जिससे वादी का उक्त खाते में अंकित आराजियात में कोई हक व हिस्सा वर्तमान में नहीं रहा है। जिससे उक्त खाते में अंकित आराजियात बाबत भी वादी का कोई विवाद नहीं है और न ही वादी उक्त खाता संख्या में अंकित आराजियात के संबंध में उक्त वाद पत्र के जरिये कोई अनुतोष ही माननीय न्यायालय से चाहता है।

परिशिष्ट [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.12 15:45:16 IST
Reason: SelfAttested

यह कि राजस्व ग्राम शि[illegible]लीन खाता संख्या 313 जिसके वर्तमान [illegible] आराजी संख्या 476 रकबा 2.40 हे0, 477 रकबा 0.11 हे0, 478 रकबा [illegible]30 हे0, 481 रकबा 0.09 हे0, 482 रकबा 1.70 हे0, 617 रकबा 0.86 हे0 कुल [illegible] 6 रकबा 5.46 हे0 कृषि भुमि में वादी की गोद माता मु0 भोली बेवा उदा तेली निवारी झुमपुरा का 1/2 हक व

2.

(उपखण्ड अधिकारी)
जिला भीलवाड़ा (राज.)

अधिकार पत्र देने वाले को स्वयं में पहचानता अथवा

Scanned with CamScanner

हिस्सा दर्ज अभिलेख था। जिसको जिस्टर्ड गोद नामा दिनांकित 22.06.1998 के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 234 से वालु मुतवन्ना उदा तली के स्थान पर वालु गोदपुत्र भोली तेली के नाम गलत राजस्व इन्द्राज कर दिया जवकि उक्त इन्द्राज को राजस्व ग्राम नांदशा के. व झुमपुरा के नामान्तरकरण संख्या क्रमशः 288 व 64 में अंकित इन्द्राज अनुसार वादी वालु मुतवन्ना उदा तेली के नाम दर्ज अभिलेख किया जाना चाहिए था।

यह कि प्रतिवादी संख्या दो ने राजस्व ग्राम शिवरती के नामान्रतकरण संख्या 234 में अंकित गलत इन्द्राज को अनदेखा कर तत्कालीन राजस्व ग्राम शिवरती के खाता संख्या 313 में गलत इन्द्राज को अंकन कर दिया, जिससे उक्त गलत इन्द्राज का अंकन वर्तमान खाता संख्या 295 में दर्ज अभिलेख चला आ रहा है। वादी ने प्रतिवादी संख्या दो को राजस्व गाम नांदशा के. व झुमपुरा के नामान्तरकरण संख्या क्रमशः 288 व 64 के अंकित इन्द्राज अनुसार दुरूस्ती करने हेतु प्रतिवादी संख्या दो को दिनांक 10.11.2018 को कहा लेकिन प्रतिवादी संख्या दो ने वादी को यह कहते हुए मना कर दिया कि इस संवंध में सक्षम न्यायालय की घोषणात्मक डिक्री आवश्यक है। वादी राजस्व ग्राम शिवरती के वर्तमान खाता संख्या 295 में गलत अंकन वालु गोदपुत्र भोली तेली का होने से वादी के खाते में अंकित आराजियात में निहित अपने हक व हिस्से की कृषि भूमि की ऋण आदि की सुविधा व हस्तानान्तरण को लेकर कठिनाई महसुस कर रहा है। जिससे वादी के पास उक्त वाद पत्र के आधार पर घोषणात्मक डिक्री प्राप्त करने के अलावा कोई विकल्प शेष नहीं होने से वादी को यह वाद पत्र प्रस्तुत करने हेतु विवश होना पड़ा।

यह कि वादी ने उक्त प्रकरण वाद में प्रतिवादी संख्या एक को इसलिए पक्षकार बनाया है कि उसका नाम राजस्व खाता संख्या 295 में 1/2 हक व हिस्से के रूप में दर्ज अभिलेख है लेकिन वादी प्रतिवादी संख्या एक के विरूद्ध कोई अनुतोष नहीं चाहता है। अतः प्रतिवादी संख्या एक फोरमल पक्षकार है।

अतः सादर प्रार्थना हैं कि घोषणात्मक डिक्री वहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी इस आशय की सादर फरमायी जावें कि राजस्व ग्राम शिवरती तहसील सहाड़ा के वर्तमान खाता संख्या 295 में अंकित खातेदार बालु गोद पुत्र भोली तेली के स्थान पर वालु मुतवन्ना उदा तेली सा0 झुमपुरा दर्ज अभिलेख किया जावें।

वादीग द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीए का इस न्यायालय में दिनांक 18.03.2019 को [illegible] नोटिस जारी किया गया। प्रतिवादी संख्या 01 [illegible] सूचना अनुपस्थित अतः इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये जाते है। प्रतिवादी सं[illegible] 2 पेरोकार सरकार औपचारिक पक्षकार होने से जवाब की आवश्यकता नही अतः जवाबदेही बंद की जाती है।

3.

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.12 15:45:16 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त कलक्टर;
(उपखण्ड अधिकारी),
गंगापुर जिला भीलवाड़ा (राज.)

Scanned with CamScanner

प्रकरण संख्या:– 36/2019 (2019/00028)
वाद– अन्तर्गत धारा 88 आर0टी0ए0

वादी बालु मुतबन्ना उदा उर्फ उदयराम तेली द्वारा साक्ष्यवादी हेतु शपथ पत्र पेश जिस पर बयान PW1 किये गये जिसके अनुसार शपथ दिलाई गई कि मैनें इस प्रकरण में आज शपथ पत्र पर बयान पेश किया है जिसमें मैने सभी तथ्य सही अंकित किये है। शपथ पत्र पर बयान पर A से B मेंरे हस्ताक्षर है। मैने इस प्रकरण में नकल जमाबंदी खाता संख्या 295 की प्रमाणित प्रति पेश की है जो प्रदर्श –1 है। नकल जमाबंदी खाता संख्या 313 की प्रमाणित प्रति पेश की जो प्रदर्श – 2 है। नकल नामान्तरकरण संख्या 288 की प्रमाणित प्रति प्रदर्श – 3 है। नकल नामान्तरकरण संख्या 64 व 234 कमशः प्रदर्श –4 व प्रदर्श–5 है। नकल रजिस्टर्ड गोदनामा की छाया प्रति प्रदर्श 6 A है।

वादी अधिवक्ता अधिवक्ता की एक पक्षीय बहस सुनी गई। वादी अधिवक्ता ने अपने वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया उक्त प्रकरण में प्रस्तु साक्ष्य– शपथ पत्र व बयान गवाह प्रस्तुत कर वादपत्र डिकी किये जाने हेतु निवेदन किया।

मैनें पत्रावली का आधोपान्त अवलोकन किया तथा प्रस्तुत बहस पर मनन किया। प्रस्तुत प्रस्तु साक्ष्य– शपथ पत्र व बयान गवाह एवं प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन पर वादी का वाद बाबत घोषणा यह न्यायालय वादी के पक्ष में स्वीकार किया जाना उचित समझतता है अतएवं–

–: आदेश :–

वादी का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आर0टी0ए0 का स्वीकार किया जाता हैं। राजस्व ग्राम शिवरती तहसील सहाड़ा के वर्तमान खाता संख्या 295 में अंकित खातेदार बालु गोद पुत्र भोली तेली के स्थान पर बालु मुतबन्ना उदा तेली सा0 झुमपुरा दर्ज अभिलेख राजस्व रेकार्ड में किये जाने के आदेश दिये जाते है। तदनुसार डिक्री जारी हो।

पत्रावली बाद दाखला रजिस्टर के फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) सहाड़ा, जिला भीलवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.12 15:45:16 IST
Reason: SelfAttested

(विकास पंचोली)
सहायक कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी, गंगापुर

Scanned with CamScanner

मूलवाद में डिक्री

(आदेश 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी गंगापुर
पीठासीन अधिकारी विकास पंचोली, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या:– 36/2019 (2019/00028) दर्ज दिनांक 18.03.2019
वाद– अन्तर्गत धारा –88 आर0टी0ए0

शीर्षक

बालु मुतबन्ना उदा उर्फ उदयराम तेली निवासी झुमपरुा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

वादी

बनाम

1. रतनलाल आत्मज लहरू तेली निवासी झुमपरुा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)।

प्रतिवादीगण

उपस्थिति अधिवक्ता वादी:– श्री सुनिल कुमार जैन
प्रतिवादी:– पेरोकार सरकार

वादी की ओर से अधिवक्ता श्री सुनिल कुमार जैन , प्रतिवादी पेरोकार सरकार की उपस्थिति में इस वाद में आज दिनांक 07.09.2020 को मेरे समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है और डिक्री दी जाती हैं कि ----x------ और इस वाद के खर्च लेखे ----x------ रूपये की राशी आज तारीख से वसूली की तारीख तक उस पर ----x------ प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित ----x------ द्वारा ----x------ को दी जाए।

वादी का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आर0टी0ए0 का स्वीकार किया जाता हैं। राजस्व ग्राम शिवरती तहसील सहाड़ा के वर्तमान खाता संख्या 295 में अंकित खातेदार बालु गोद पुत्र भोली तेली के स्थान पर बालु मुतबन्ना उदा तेली सा0 झुमपुरा दर्ज अभिलेख राजस्व रेकार्ड में किये जाने के आदेश दिये जाते है।

खर्चा फरीकेन अपना – अपना वहन करेंगें।

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
गंगापुर, भीलवाड़ा(राज0)

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.12 15:45:16 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री आज दिनांक 07.09.2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
गंगापुर, भीलवाड़ा(राज0)

Scanned with CamScanner